न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 13/2024

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/49

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा	बनाम	व्यवस्थापक लेम्पस, बडी सरवा, तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा

उपस्थित – प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 23–10–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.08.2017 एवं दिनांक 06.06.2019 की जांच में राशन डीलर व्यवस्थापक लेम्पस बडी सरवा द्वारा माह सितम्बर 2016 से जनवरी 2017 तक थोक विक्रेता राजस संघ बांसवाडा द्वारा भेजे गए 2738 क्विं गेहूँ मे से दोनो दुकानो में पोस से उठाव के विरुद्ध पोस मशिन से 2126.51 क्विं. गेहुँ उपभोक्ताओ में वितरण किया गया। इस प्रकार दोनो उचित मूल्य दुकानो में 611.49 क्वि. गेहूँ का वितरण उपभोक्ताओ में नही किया जाकर खाद्यान्न का गबन एवं दुरुपयोग किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक की मौका जाँच में 14 उपभोक्ताओ के राशनकार्ड की जांच में गेहूँ एवं केरोसीन नही देना पाया गया था। गोदाम/ दुकान का उचित मूल्य दुकानदार एवं मौतबिरानो की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन करने पर गेहूँ, चीनी एवं केरोसीन की मात्रा शून्य पाई गई थी। डीलर द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 09, 11, 13 व 17सी ... उल्लघन किया गया था। अप्रार्थी के विरुद्ध निलम्बन आदेश जारी कर विभागीय प्रकरण दर्ज किया ... को 01.02.2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी डीलर के विरुद्ध तात्कालिन प्रवर्तन निरीक्षक श्री सोहन सिंह चौहान द्वारा डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना पाटन में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 0003/10.01.2020 दर्ज करवाई गई। इस प्रकार व्यवस्थापक लेम्पस बडी सरवा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बडी सरवा एवं महुडा को आवंटित गेहूँ मे से 611.49 क्विं. गेहूँ का गबन एवं दुरुपयोग किया गया। उक्त 611.49 क्विं गेहूँ की राशि 2700 रु. प्रति क्विं. की दर से 16,51,023/–रु. बनती है। उक्त गेहूँ की कुल राशि 16,51,023/– रुपया उचित मुल्य दुकानदार लेम्पस बडी सरवा से वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को नोटिस दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र जारी कर रुपया 16,51,023/– वसूली का जारी किया गया। कार्यालय बंद मिलने से नोटिस बाद चस्पा होकर तहसीलदार तहसील कुशलगढ की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत हुआ। तत्पश्चात् पेशी दिनांक 08.08.2024, 29.08.2024, 12.09.2024 को अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 12.09.2024 को अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 23–10–2024 को विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 29.08.2017 एवं दिनांक 06.06.2019 की जांच में राशन डीलर व्यवस्थापक लेम्पस बडी सरवा द्वारा माह सितम्बर 2016 से जनवरी 2017 तक थोक विक्रेता राजस संघ बांसवाडा द्वारा भेजे गए 2738 क्विं गेहूँ मे से दोनो दुकानो में पोस से उठाव के विरुद्ध पोस मशिन से 2126.51 क्विं. गेहुँ उपभोक्ताओ में वितरण किया गया। इस प्रकार दोनो उचित मूल्य दुकानो में 611.49 क्वि. गेहूँ का वितरण उपभोक्ताओ में नही किया जाकर खाद्यान्न का गबन एवं दुरुपयोग किया गया। उक्त 611.49 क्विं गेहूँ की राशि 2700 रु. प्रति क्विं. की दर से 16,51,023/–रु. बनती है। इस प्रकार गेहूँ की कुल राशि 16,51,023/– रुपया उचित मुल्य दुकानदार लेम्पस बडी सरवा से वसूली किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:13 IST
Reason: SelfAttested

हमने एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.08.2017 एवं दिनांक 06.06.2019 की जांच में राशन डीलर व्यवस्थापक लेम्पस बडी सरवा द्वारा माह सितम्बर 2016 से जनवरी 2017 तक थोक विक्रेता राजस

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

संघ बांसवाडा द्वारा भेजे गए 2738 क्विं गेहूँ मे से दोनो दुकानो में पोस से उठाव के विरुद्ध पोस मशिन से 2126.51 क्विं. गेहुँ उपभोक्ताओ में वितरण किया गया। इस प्रकार दोनो उचित मूल्य दुकानो में 611.49 क्वि. गेहूँ का वितरण उपभोक्ताओ में नही किया जाकर खाद्यान्न का गबन एवं दुरुपयोग किया जाना पाया गया है। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। उक्त 611.49 क्विं. गेहूँ की राशि विभाग अनुसार 16,51,023/–रु. बनती है तथा उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी व्यवस्थापक लेम्पस बडी सरवा तहसील कुशलगढ से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत 611.49 क्विं. गेहूँ की राशि रु. 16,51,023/– अक्षरे रुपया सोलह लाख इक्यावन हजार तेईस की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलेक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:13 IST
Reason: SelfAttested